न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के. जैन**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2914-दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-07-2012 पारित द्वारा तहसीलदार पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/2011-12

कम्मोद तनय ढमरा काछी

निवासी लुहरगुवां, तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. नाथूराम तनय जुगल कुशवाह
2. रामसेवक तनय गन्सू कुशव

   निवासी लुहरगुवां, तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.
3. म.प्र. शासन .....अनावेदकगण

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अवध किशोर सिंह ठाकुर, अभिभाषक, अनावेदक क्रं. 1

श्री ए.के. निरंकारी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्रं. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3 7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित दिनांक 25-07-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम लुहरगुवां स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1337/2, 1338/2, 1342/2, 1343 रकबा क्रमश: 0.340, 0.140, 0.330,

0.113 के सीमांकन हेतु तहसीलदार पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 22/अ-12/2011-12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । तहसीलदार के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन पत्र क्रमांक Q/रा.नि./2012 दिनांक 24-06-2012 तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-07-2012 का ओपेरेटिंग पैरा निम्नानुसार है ।

" प्रकरण में संलग्न प्रस्तावित प्रतिवेदन अनुसार आवेदक को सरहदी कृषकों की उपस्थिति में मौके पर जाकर सीमा समझा दी गई है एवं मौके पर अभिलेख एवं कब्जा अनुसार सीमा अंकित कर दी गई है । सीमांकन पश्चात प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है अत: प्रकरण समाप्त किया जाकर दा.द. किया जावे ।"

तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । व्यवहार न्यायालय के वाद क्रमांक 1अ/14 सस्थापित दिनांक 08-01-2014 में वादी श्री नाथूराम कुशवाह के पक्ष में सर्वे क्रमांक 1334/2, 1338/2, 1337/2 एवं 1343 निर्धारण किया जाकर तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 25-10-2017 के द्वारा अनावेदकगणों को कब्जा भी सौंपा जा चुका है । अत: इस निगरानी को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस हो ।

31/7/18

(आर.के. जैन)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर